न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. दिनेश राय सापेला, आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्याः 01/2020

अपीलार्थीगण

(1) श्री रणजीत सिंह पुत्र श्री जवान सिंह, जाति– राजपूत, निवासी– अरठवाडा, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही

(2) श्री भंवर सिंह पुत्र श्री जवान सिंह, जाति– राजपूत, निवासी– अरठवाडा, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही

बनाम

प्रत्यर्थीगण

(1) श्री बाबूसिंह पुत्र श्री जवान सिंह, जाति– राजपूत, निवासी– अरठवाडा, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही

(2) श्रीमती मंजू पत्नी श्री रतनसिंह, जाति– राजपुरोहित, निवासी– अरिहन्त नगर, पॉवर हाउस के सामने, जवाई बांध रोड, सुमेरपुर, जिला– पाली

(3) राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, शिवगंज, जिला– सिरोही

"अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री कलीम अव्वल, अपीलार्थीगण की ओर से
2. अधिवक्ता श्री हंसराज पुरोहित, प्रत्यर्थी संख्याः 1 व 2 की ओर से
3. पेरोकार सरकार, अप्रार्थी संख्या–3 की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 11 जून, 2024**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थीगण की ओर से यह अपील नायब तहसीलदार, शिवगंज द्वारा ग्राम अरठवाडा, पटवार हल्का अरठवाडा के स्वीकत नामान्तरकरण संख्या 3358 दिनांक 18.9.2019 को निरस्त कराने हेतु प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थीगण को सम्मन जारी किये गये। अपील की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी संख्या–1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री हंसराज पुरोहित एवं प्रत्यर्थी संख्या– 3 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुये। प्रकरण में प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 की ओर से अपील का जवाब भी प्रस्तुत हुआ।

(3) उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि कि ग्राम अरठवाडा, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही में खसरा संख्या 792 की 8 बिस्वा एवं खसरा संख्या 793/1 की कुल 45 बीघा 2 बिस्वा भूमि आई हुई है। उक्त भूमि, अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी बाबूसिंह के दादा स्वर्गीय अजय सिंह जी के कब्जे स्वामित्व एवं खातेदारी में रही है एवं अपीलार्थी के दादा अजय सिंह की मृत्यु के बाद उक्त भूमि में उनका कुल 2/3 हक हिस्सा अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी बाबूसिंह के पिता जवानसिंह जी पुत्र अजयसिंह जी के कब्जे स्वामित्व व खातेदारी में आया एवं शेष भूमि का 5/18 हिस्सा कानसिंह, छतरसिंह पिसरान जयसिंह जी के हिस्सें में, 1/18 हिस्सा जराव कुंवर पत्नि जयसिंह जी के हक हिस्से व खातेदारी में आया एवं इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में खातेदारों का नाम दर्ज [illegible] उक्त भूमि खातेदारान के संयुक्त खातेदारी में रही है। अपीलार्थीगण व प्र[illegible] ब[illegible]ह, स्वर्गीय जवानसिंह पुत्र अजयसिंह जी के संयुक्त परिवार के सदस्य रहे है। [illegible] जी के जीवनकाल में

......पेज दो पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.09.05 1[illegible]:52:10 IST
Reason: Self Attested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

Scanned with ACE Scanner

उक्त भूमि संयुक्त परिवार की उत्तराधिकार की सम्पति रही है तथा संयुक्त परिवार के सभी सदस्य उत्तराधिकार में प्राप्त इस सम्पति में संयुक्त रुप से मालिक व काबिज रहे है। उक्त भूमि का अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी बाबूसिंह को उत्तराधिकार में प्राप्त कुल 2/3 हिस्सा आज दिन तक अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी बाबूसिंह के संयुक्त कब्जे काश्त व संयुक्त खातेदारी में रहा है एवं उक्त भूमि का सहखातेदारों के हिस्सों का आज दिन तक कभी बंटवाडा नही हुआ एवं संयुक्त रुप से कब्जा काश्त रहा है। उक्त भूमि में अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी बाबूसिंह को कुल 2/3 हिस्से की भूमि स्वर्गीय अजयसिंह जी एवं तत्पश्चात् स्वर्गीय जवानसिंह जी से उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है एवं उत्तराधिकार में प्राप्त सम्पति के किसी भी उत्तराधिकारी के संयुक्त हिस्से, अथवा उसके किसी भाग के बेचान में अन्य सह उत्तराधिकारियों के खरीद करने का अधिमानी कानूनन अधिकार एवं भूमि खरीद करने का प्रथम कानूनी हक व अधिकार सह उत्तराधिकारियों का है, परन्तु प्रत्यर्थी संख्या–2 ने प्रत्यर्थी बाबूसिंह से मिलकर अपीलार्थीगण की जानकारी के बगैर अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी बाबूसिंह को उत्तराधिकार में प्राप्त संयुक्त भूमि में से 04 बीघा भूमि का बारो बार पंजीकृत बेचान दिनांक 17.7.2019 को कर दिया जो कि हिन्दू उत्तराधिकार के प्रावधानों विपरित होने से अवैध एवं शून्य है। उक्त अवैध बेचान को निरस्त करवाने हेतु अपीलार्थी द्वारा जिला न्यायालय, सिरोही में एक दीवानी वाद रणजीत सिंह व अन्य बनाम बाबूसिंह व अन्य दायर करवाया है जो न्यायालय में लम्बित है एवं इस दीवानी वाद के लम्बित रहते प्रत्यर्थी संख्या–2 ने उक्त खसरा संख्या 793/1 में से 4/45 हिस्सा राजस्व भूमि का तथ्यों को छुपाते हुए नायब तहसीलदार, शिवगंज से नामान्तरकरण स्वयं के नाम से दायर करवाकर स्वीकृत करवा लिया। यह कि उक्त भूमि में से प्रत्यर्थी बाबूसिंह द्वारा 4 बीघा भूमि का प्रत्यर्थी संख्या–2 को बेचान करने के उपरान्त भी विवादित भूमि पर प्रत्यर्थी संख्या–2 द्वारा कभी भी मौके पर कब्जा नही किया गया एवं वादग्रस्त भूमि आज भी संयुक्त है, जिससे किस 4 बीघा भूमि का बेचान किया गया, वो बंटवाड के बिना असंभव था। प्रत्यर्थी संख्या–2 को उक्त अवैध बेचान के आधार पर विवादित सम्पति के किसी भी हिस्से पर जबरन कब्जा करने से रोकने हेतु अपीलार्थीगण द्वारा सहायक कलेक्टर, शिवगंज के न्यायालय में वाद एवं धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र भी पेश किया था जिस प्रार्थना पत्र में सहायक कलेक्टर, शिवगंज द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा का अंतरिम आदेश भी जारी किया गया था, जो अनवरत जारी है। अधीनस्थ नायब तहसीलदार, शिवगंज ने सहायक कलेक्टर न्यायालय, शिवगंज द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेशों की परवाह नही करते हुए प्रत्यर्थी संख्या–2 के हक में नामान्तरकरण स्वीकृत किया है जो विधि विरुद्व है। यह कि अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी बाबूसिंह को विवादित 4 बीघा राजस्व भूमि व उसके मिलाते पुश्तैनी भूमि का हिस्सा संयुक्त रुप से स्वर्गीय अजयसिंह जी एवं उनके बाद स्वर्गीय जवानसिंह जी से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसूची एक के वर्ग 1 के उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है। अपीलार्थीगण द्वारा पूर्व में प्रत्यर्थी बाबूसिंह को मौखिक रुप से कहा था कि यदि प्रत्यर्थी अथवा कोई भी अपीलार्थी अपने हक हिस्से की भूमि या उसका का कोई भाग बेचना चाहते तो विहित प्रतिफल राशि पर प्रथमतः स्वर्गीय जवानसिंह जी के वारिसदार व भाई को ही बेचे एवं यदि जवानसिंह जी के वारिसदार व उत्तराधिकारी में से कोई वारिसदार भूमि का हिस्सा खरीदना चाहे तो किसी अन्य को सहउत्तराधिकारीगण की सहमति व स्वीकृति से बेचान कर सकेगा, जो कि अपीलार्थीगण का कानूनी अधिकार है। यह कि प्रत्यर्थी बाबूसिंह द्वारा प्रत्यर्थी संख्या–2 को जो 4 बीघा भूमि बेचान की गई है वह अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी बाबूसिंह को हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उत्तराधिकार में प्राप्त उक्त पुश्तैनी संयुक्त अविभाजित कृषि भूमि का हिस्सा है जिससे अपीलार्थीगण के पिता जवानसिंह के

......पेज तीन पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.09.05 11:52:10 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

Scanned with ACE Scanner

वारिसदार को अनुसूची के वर्ग 1 के उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त भूमि के किसी भी हिस्से को खरीदने का कानूनन हक अधिकार है। यह कि प्रत्यर्थी बाबूसिंह द्वारा प्रत्यर्थी संख्या-2 के पक्ष में निष्पादित संयुक्त पुश्तैनी कृषि भूमि में से 4 बीघा भूमि का विक्रय विलेख दिनांक 17.7.2019, सम्पति हस्तान्तरण अधिनियम एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरित होने से प्रारम्भतः शून्य दस्तावेज है एवं ऐसे शून्य दस्तावेज के आधार पर दर्ज नामान्तरकरण भी गलत एवं विधि विरुद्ध है। यह कि ग्राम अरठवाडा के खसरा संख्या 793/1 में से 4/45 हिस्सा भूमि का अपीलाधीन नामान्तरकरण जांच किये बिना ही प्रत्यर्थी संख्या-2 के पक्ष में गलत दर्ज किया गया है, जो अपीलार्थीगण की जानकारी के बगैर व सुनवाई का मौका दिये बिना ही निर्णित नही किया जा सकता था। यह कि प्रत्यर्थी बाबूसिंह द्वारा प्रत्यर्थी संख्या-2 के पक्ष में अवैध व विधि विरुद्ध निष्पादित उक्त विक्रय विलेख को निरस्त करवाने हेतु अपीलार्थीगण द्वारा सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत नियमित दीवानी वाद के विचाराधीन रहते हुए प्रत्यर्थी संख्या-2 के पक्ष में नामान्तरकरण दर्ज योग्य नही था। अतः अपीलार्थीगण की अपील को स्वीकार किया जाकर नायब तहसीलदार, शिवगंज द्वारा ग्राम अरठवाडा, पटवार हल्का अरठवाडा के खसरा संख्या 793/1 के 4 बीघा का 4/45 हिस्से राजस्व भूमि का प्रत्यर्थी संख्या-2 के पक्ष में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 3598 दिनांक 18.9.2019 को निरस्त किया किया जावे एवं राजस्व रेकर्ड में पूर्व की स्थिति अनुसार जांच कर अमल दरामद करने के आदेश पारित किये जावे। जबकि प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम अरठवाडा, तहसील- शिवगंज में खसरा संख्या 792 एवं 793/1 की कुल कृषि भूमि 45 बीघा 10 बिस्वा अवश्य आई हुई है, लेकिन उक्त कृषि भूमि अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी बाबूसिंह की पुश्तैनी कृषि भूमि होने का कथन गलत है। ग्राम अरठवाडा में स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 792 व 793/1 में कुल 2/3 हक हिस्सा एवं शेष कृषि आराजी का 5/18 वां हक कानसिंह, छतरसिंह, पिसरान जयसिंह का एवं 1/18 वां हक हिस्सा जराव कंवर पत्नि जयसिंहजी के हक हिस्से व खातेदारी का अवश्य है, लेकिन प्रश्नगत कृषि भूमि न तो पुश्तैनी है और न ही पक्षकारान के संयुक्त खातेदारी की है। अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी बाबूसिंह, स्वर्गीय जवानसिंह पुत्र अजयसिंहजी के संयुक्त परिवार के सदस्य नहीं रहे है। अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी बाबूसिंह का 2/3 हक हिस्सा पक्षकारान के संयुक्त खातेदारी का नही रहा है, बल्कि उक्त भूमि विभाजित है तथा पक्षकारान मौके पर स्वतंत्र रूप से विभाजित भूमि पर बतौर खातेदार काबिज काश्त है। पक्षकारान की कृषि भूमि संयुक्त नही है पक्षकारान मौके पर बतौर सह खातेदार काबिज काश्त नहीं है। प्रश्नगत कृषि भूमि विधि अनुसार सर्वथा विभाजित है। ऐसी स्थिति में, अधिमानी कानूनी अधिकार बतौर सह उत्तराधिकारी न तो बनता है और न ही साबित ही है। प्रश्नगत कृषि भूमि अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी बाबूसिंह को विरासत में अवश्य प्राप्त हुई है, मगर विरासत में प्राप्त होने के उपरान्त उक्त भूमि का विभाजन उनके राजस्व अधिकार अभिलेख में दर्ज उनके हक हिस्सों के अनुसार मौके पर फिजीकली एवं वैधानिक रूप से होकर भूमि विभाजित है। यह कि प्रत्यर्थी संख्या-2 ने प्रत्यर्थी बाबूसिंह से उक्त करीब 4 बीघा भूमि पंजीकृत बेचान से दिनांक 17.7.2019 से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है जो सर्वथा विधि अनुकुल है। अपीलार्थीगण द्वारा माननीय जिला न्यायालय, सिरोही में वाद संख्या 16/2019 इसी अनवान का अवश्य दायर किया है जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। यह कि ग्राम अरठवाडा के खसरा संख्या 793/1 में से 4/45 वां हक हिस्सा का पंजीकृत विक्रय विलेख से [illegible] उपरान्त बाबुसिंह के स्थान पर प्रत्यर्थी संख्या 2 के नाम का नामान्त[illegible] अनुसार दायर होकर स्वीकृत हुआ है। मौके पर राजस्व ख[illegible] के सभी पक्षकार[illegible] स्वतंत्र रूप से विभाजित भूमि

.....पेज चार पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.09.05 11:52:10 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

Scanned with ACE Scanner

पर काबिज काश्त है। अपीलार्थीगण को प्रश्नगत विक्रय विलेख के उपरान्त कोई कानूनी अधिमानी हक अधिकार पैदा नही होता है एवं अपीलार्थीगण का विभाजित भूमि पर कोई अधिमानी हक या अधिकर नही बनता है एवं न ही प्रत्यर्थी संख्या 2 के हक में प्रत्यर्थी बाबूसिंह द्वारा बेचान, सम्पति हस्तांतरण अधिनियम या राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावाधानों के विपरीत है। प्रत्यर्थी बाबूसिंह द्वारा प्रत्यर्थी संख्या–2 के हक में बेचान की गई भूमि के विक्रय विलेख दिनांक 17.7.2019 के अनुसरण में प्रश्नगत भूमि का नामान्तकरण विधि अनुरुप प्रत्यर्थी संख्या–2 के पक्ष में दायर किया जाकर स्वीकृत किया गया है। अतः अपीलार्थीगण की अपील को खारिज किया जावे।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम अरठवाडा, पटवार हल्का अरठवाडा के खसरा संख्या 793/1 रकबा 45 बीघा 2 बिस्वा भूमि के संयुक्त खातेदार प्रत्यर्थी बाबूसिंह द्वारा स्वयं के हक हिस्से की कृषि भूमि में से प्रत्यर्थी संख्या–2 (श्रीमती मंजू) को जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 17.7.2019 से विक्रय की गई भूमि का पटवारी हल्का, अरठवाडा द्वारा प्रत्यर्थी संख्या–2 (श्रीमती मंजू) के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 3358 दायर किया गया, जिसे नायब तहसीलदार, शिवगंज द्वारा दिनांक 18.9.2019 को स्वीकृत किया गया है। नायब तहसीलदार, शिवगंज द्वारा ग्राम अरठवाडा, पटवार हल्का अरठवाडा के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 3358 दिनांक 18.9.2019 को निरस्त कराने हेतु अपीलार्थीगण द्वारा प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधियिम, 1956 की धारा 75 के तहत अपील विलम्ब से इस न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने से विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने हेतु अपीलार्थीगण द्वारा भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अर्न्तगत प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत किया गया था, जो मियाद प्रार्थना पत्र संख्याः 02/2020 पर दर्ज रजिस्टर होकर बाद सुनवाई पक्षकारान इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.10.2023 के द्वारा प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम को स्वीकार किया जाकर नायब तहसीलदार, शिवगंज द्वारा ग्राम अरठवाडा, पटवार हल्का अरठवाडा के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 3358 दिनांक 18.9.2019 के विरुद्ध अपीलार्थीगण द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को कन्डोन किया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि उक्त नामान्तरकरण, प्रत्यर्थी बाबूसिंह द्वारा प्रत्यर्थी श्रीमती मंजू के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 17.7.2019 के अनुसरण में दायर होकर स्वीकृत हुआ है। इस संबंध में अपीलार्थी का मुख्यतः कथन यह है कि ''प्रत्यर्थी बाबूसिंह द्वारा प्रत्यर्थी संख्या–2 (श्रीमती मंजू) को जो 4 बीघा भूमि बेचान की गई है वह भूमि अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी बाबूसिंह को हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उत्तराधिकार में प्राप्त पुश्तैनी संयुक्त अविभाजित कृषि भूमि का भाग है जिससे अपीलार्थीगण के पिता जवानसिंह के वारिसदार को अनुसूची 1 के वर्ग 1 के उत्तराधिकार के रुप में प्राप्त भूमि के किसी भी हिस्से को खरीदने का कानूनन हक अधिकार है।'' जबकि प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 का कथन यह है कि ''ग्राम अरठवाडा के खसरा संख्या 793/1 में से 4/45 वां हक हिस्सा का पंजीकृत विक्रय विलेख से बेचान होने के उपरान्त बाबुसिंह के स्थान पर प्रत्यर्थी संख्या 2 के नाम का नामान्तरकरण विधि अनुसार दायर होकर स्वीकृत हुआ है। मौके पर राजस्व खाता के सभी पक्षकारान खातेदार स्वतंत्र रूप से विभाजित भूमि पर काबिज काश्त है। अपीलार्थीगण को प्रश्नगत विक्रय विलेख के उपरान्त कोई कानूनी अधिमानी हक अधिकार पैदा नही होता है एवं अपीलार्थीगण का विभाजित भूमि पर कोई अधिमानी हक या अधिकर नही बनता है एवं न ही प्रत्यर्थी संख्या 2 के हक में प्रत्यर्थी बाबूसिंह द्वारा बेचान, सम्पति हस्तांतरण अधिनियम या राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावाधानों के विपरीत है।''

.....पेज पांच पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.09.05 11:52:10 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

सिरोही

प्रकरण में अपीलार्थीगण ने अपील में अंकित कथन के समर्थन में ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की है, जिससे यह साबित हो सके कि सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश अथवा अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश प्रभाव में होने के बावजूद भी उक्त विक्रय विलेख दिनांक 17.7.2019 के अनुसरण में प्रत्यर्थी संख्या–2 (श्रीमती मंजू) के पक्ष में नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया हो। जबकि प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज तहसीलदार, शिवगंज के पत्र कमांक/राजस्व/2020/1738 दिनांक 15.9.2020 से उपखण्ड अधिकारी, शिवगंज को प्रेषित रिपोर्ट के अनुसार उक्त कृषि भूमि के संयुक्त खातेदारों के हक हिस्से अनुसार बंटवाडा मौके पर किया हुआ है। मौके पर भूमि अविभाजित नही है। मौके पर बाबुसिंह व मजु राजपुरोहित का अलग अलग कब्जा काश्त है। इस प्रकार, प्रकरण में अपीलार्थीगण, अपील में अंकित कथनों को साबित करने में असफल रहे है। ऐसी स्थिति में, अपीलार्थीगण की अपील सारहीन होने व साबित नही होने से खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

अत: उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत अपील, अपीलार्थीगण अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध प्रत्यर्थीगण सारहीन होने व साबित नही होने से खारिज की जाती है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 11 जून, 2024 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही

अतिरिक्त जिला कलक्टर कार्यालय * सिरोही * सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.09.05 11:52:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with ACE Scanner